## निर्णय न्यायालय श्री सुनील कुमार मीना आर०ए०एस० उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बामनवास

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 10/2024 | 22.08.2024 | 09.07.2025 |

श्याम नरेश पुत्र कैलाश चन्द जाति मीना निवासी 416 प्रधान भवन के पास, उदेई मोड़, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–अपीलार्थी–

बनाम

1. रामसहाय पुत्र भीमा जाति मीना निवासी नाहरसिंह पुरा तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राज.)
2. सरंपच ग्राम पंचायत लिवाली, प.सं. बामनवास।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास –रेस्पोडेन्ट–
4. अमन पुत्र पुखराज जाति मीना निवासी ए–71, सूर्या सिटी, नीयर तिलक हॉस्पीटल आगरा रोड़, जामडौली जयपुर

तरतीवी रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश, सरपंच ग्राम पंचायत लिवाली नामान्तकरण सं. 767 निर्णय दिनांक 19/07/2024, ग्राम लिवाली**

उपस्थित :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट –अपीलार्थी की और से
रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 अनुपस्थित

**–निर्णय–**

अपीलर्थी श्याम नरेश पुत्र कैलाश की ओर से एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 767 निर्णय दिनांक 19/7/2024 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 876 लगायत 880 कुल किता 5 कुल रकवा 1.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1043, 1044, 1062 कुल किता 3 कुल रकवा 2.26 हैक्टर ग्राम लिवाली थी। जिसकी खातेदारी रेस्पोडेन्ट रामसहाय पुत्र भीमा हिस्सा 1/2 के नाम थी। रिकार्ड खातेदारी भीमा ने अपनी खातेदारी की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 24/05/2024 को अपीलार्थी श्याम नरेश व रेस्पोडेन्ट सं. 4 अमन पुत्र पुखराज के नाम दानपत्र कर कब्जा संभला दिया। पटवारी हल्का द्वारा बसाज ग्राम पंचायत लिवाली के नामान्तकरण सं. 767 दिनांक 19/07/2024 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

अपील न्यायालय में पेश की गई।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्वयं उपस्थित आया तथा अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना दी गयी। उसके बाबजूद रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामसहाय ने एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसने दानपत्र के जरिये अपनी खातेदारी की भूमि को अपीलार्थी श्याम नरेश व रेस्पोडेन्ट सं. 4 अमन के नाम अन्तरित कर कब्जा संभला दिया तथा सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषयता के कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया। नामान्तकरण स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि नामान्तकरण ग्राम पंचायत की कोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज विधि अनुसार पंजीबद्ध किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के अनुसार उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि को अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम दर्ज करना चाहिये था। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी दस्तावेज के भूमि को पैत्रिक बताकर नामान्तकरण निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत को मालिकाना हक तय करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा कानून के विपरित जाकर नामान्तकरण निरस्त किया है। ऐसे इललीगल, अवैध आदेश को निरस्त किया जाकर भूमि रजिस्टर्ड दानपत्र के अनुसार अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट अमन के नाम दर्ज की जावे।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व नामान्तकरण का अवलोकन किया। नामान्तकरण जो भरा गया है। वह विधि अनुसार रजिस्टर्ड दानपत्र के अनुसार भरा गया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में मुताबिक पंजीकृत दान विलेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने का उल्लेख किया है। लेकिन सरपंच द्वारा बिना किसी दस्तावेज के पैत्रिक भूमि लिखकर निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वंय के द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट अमन के नाम दानपत्र कर कब्जा संभलाना अंकित किया है तथा नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की हैं तथा भूमि को अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट अमन के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। नामान्तकरण विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज दानपत्र के आधार पर खोला गया था। दानकर्ता के नाम तत्समय भूमि खातेदारी में दर्ज थी। दानकर्ता रामसहाय द्वारा भूमि को दानग्रहिता श्याम नरेश व अमन को कब्जा भी संभलना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सं. 2 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि के विपरित नामान्तकरण निरस्त कर विधिक भूल की है। उक्त नामान्तकरण सं. 767 आदेश दिनांक 19/07/2024

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

ग्राम लिवाली को निरस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है तथा उक्त भूमि को दानपत्र अनुसार रामसहाय के स्थान पर अपीलार्थी श्याम नरेश व रेस्पोडेन्ट सं. 4 अमन के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 767 आदेश दिनांक 19/07/2024 निरस्त किया जाता है तथा लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जाता है कि आराजी ख. नं. 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 5 कुल रकवा 1.47 हैक्टर व ख. नं. 1043, 1044, 1067 कुल किता 3 रकवा 2.26 हैक्टर स्थित ग्राम लिवाली को अपीलार्थी श्याम नरेश पुत्र कैलाश चन्द जाति मीना व अमन पुत्र पुखराज मीना के नाम दर्ज की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बामनवास को पालनार्थ भेजी जावे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(सुनील कुमार मीना )
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner